

(दान पत्र)

मालियत कलैक्टर दर

/रुपयें

स्टाम्प

/रुपयें

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

कितात

+ + + + + +
= /रुपयें

यह दान पत्र आज दिनांक.....को श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा/.....
उम्र.....व निवासी.....तहसील.....जिला.....जिसे आगे दाता कहा गया है। एवं
जो इस दान पत्र का प्रथम पक्षकार है तथा श्री/श्रीमती/..... पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी/विधवा/.....
उम्र.....व निवासी.....तहसील.....जिला.....(जिसे आगे दानग्रहीता कहा गया है)
एवं जो इस लेख पत्र का द्वितीय पक्षकार है, के मध्य निष्पादित किया गया है।

और चूकिं उक्त प्रथम पक्ष का एक मकान/ प्लाट/ फ्लेट/ दुकान/ फ़ैक्ट्री/ उधोगीक प्लाट/
कृषि भूमी जो.....स्थित है जिसकी सीमाएं एवं क्षैत्रफल सलग्न अनुसूचि/नक्शे में
दर्शाया गया है,एवं जिसका अनुमानित मूल्य रूपयो ----- (अक्षरों में).....
.....रूपयें है।

को प्रथम पक्ष दान करना चाहता है। सलग्न अनुसूचि में दर्शाये गये
मकान/प्लाट/फ्लेट/दुकान/फ़ैक्ट्री/उधोगीक प्लाट/कृषि भूमी को दान करने का प्रथम पक्ष को
पूर्ण अधिकार है। प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व सलग्न अनुसूचि में दर्शायी गई अचल सम्पति को
किसी अन्य को विक्रय,दान,बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा अनुसूचि
में दर्शायी गई अचल सम्पति/मकान पर प्रथम पक्ष ही काबिज है। सम्बन्धित अचल सम्पति पर
कोई ऋण,कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और नहीं किसी अदालती कार्यवाही में अनुसूचि
में दर्शायी गई अचल सम्पति विवादास्पद है। सम्बन्धित अचल सम्पति हर तरह से पाक एवं
साफ है जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है।

अतः यह दान पत्र साक्ष्यांकित करता है कि:-

- यह कि दाता प्रेम से पूरित होकर अनुसूचि में वर्णित सारी सम्पति को उससे संलग्न सारे अधिकारों के साथ अपनी इच्छा से उक्त दानग्रहिता को दान करता है, तथा अनतरित,हस्तान्तरित अदायगी और उसकी पुष्टि करता है।
- यह कि दाता उक्त सम्पति का एक मात्र स्वामी है तथा उसे उक्त सम्पति को दान करने,हस्तान्तरित करने,अन्तरित करने तथा निवर्तन करने का अधिकार है एवं एतद्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वह दानग्रहिता के पक्ष में उक्त सम्पति का निवर्तन हस्तान्तरण,अन्तरण करता है तथा उक्त सम्पति पर दानग्रहिता को सदैव शांतिपूर्वक और

निश्चल रूप से प्रवेश करने,अपने पास रखने धारण करने,उस पर अधिपत्य रख सकने एवं उसे उपयोग और उपभोग में लाने का अधिकार होगा ।

- यह है कि दानग्रहिता उक्त सम्पति को दान लेना स्वीकार करता है।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप दाता एवं दान ग्रहिता ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर पूर्ण होशो हवाश में बिना किसी दबाव के कर दिये है ।

अनुसूची

खेवट/खतौनी/खसरा न.....तादादी.....कनाल.....मरला/बिघा.....बिस्वा का
हिस्सा मिजरिंग.....कनाल.....मरला/.....बिघा.....बिस्वा/.....
वर्गगज/.....वर्गमीटर स्थित गांव/शहर.....हदबस्त न.
तहसील.....जमाबन्दी वर्ष.....।

साक्षीगण:

1. हस्ताक्षर प्रथम पक्ष दाता

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष दानग्रहिता